

पत्रांक-13/अ0प्र0-02-05/2024
प्रेषक,

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
3936

पटना, दिनांक 18/7/24

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा
अनौपचारिक रूप से परामर्शित

आदित्य प्रकाश
सरकार के अवर सचिव।
सेवा में,

विषय:- महालेखाकार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना।
मांग संख्या-37 मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत
परिव्यय- उप मुख्य शीर्ष-00- लघु शीर्ष-103- ग्राम विकास उप
शीर्ष-0216- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (केन्द्रांश) के अन्तर्गत वित्तीय
वर्ष 2024-25 में प्रावधानित ₹ 147900.00 लाख (एक हजार चार सौ
उन्चासी करोड़) ₹0 मात्र के विरुद्ध राशि ₹ 24450.00 लाख (दो सौ
चौवालीस करोड़ पचास लाख) ₹0 मात्र की राशि व्यय की स्वीकृति के
संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि मांग संख्या-37 मुख्य शीर्ष
4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय- उप मुख्य शीर्ष-00- लघु
शीर्ष-103- ग्राम विकास उप शीर्ष-0216-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (केन्द्रांश) के
अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रावधानित कुल राशि ₹ 147900.00 लाख (एक
हजार चार सौ उन्चासी करोड़) ₹0 के विरुद्ध भारत सरकार के पत्रांक-P-
17024/4/2012-RC(Vol-II) (eFMS No-341634), Dt-05.07.2024 से केन्द्रांश के रूप में
प्रथम ट्रॉच के प्रथम किस्त की विमुक्त राशि ₹ 24450.00 लाख (दो सौ चौवालीस
करोड़ पचास लाख) ₹0 मात्र को बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी [Bihar Rural
Roads Development Agency] पटना के Single Nodal Account के खाता
संख्या-11111137916 में उपलब्ध कराने की व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है,
जिसका विपत्र कोड-37-4515001030216 एवं विषय शीर्ष 53 01 मुख्य निर्माण कार्य है।
2. इस योजना का व्यय मांग संख्या-37 मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास
कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय- उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-103- ग्राम विकास उप
शीर्ष-0216- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (केन्द्रांश) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25
में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
3. वित्त विभाग, बिहार, पटना के यथा निदेश एवं समय-समय पर बंधेज के
अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, पटना राशि की
निकासी कर बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी [Bihar Rural Roads Development
Agency] पटना के Single Nodal Account के खाता संख्या-11111137916, IFSC Code-
SBIN0006379 में संधारित करेंगे।

4. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित निर्धारित नीति निर्देश में निहित प्रावधानों के आलोक में योजनाओं का कार्यान्वयन एवं तदनुसार व्यय किया जायेगा।
5. सचिव, बी0आर0आर0डी0ए0 उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय सीमा के अंदर ग्रामीण कार्य विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. इस योजना के अंतर्गत राशि की निकासी वित्त विभाग के संकल्प संख्या-एम0-05-98-2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक-ब-15/बी0एस0जी0-09/2024-214 दिनांक- 06.03.2024 के आलोक में की जायेगी। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-13/अ0प्र0-02-05/2024 के पृष्ठ संख्या-04/टि0 पर एवं दिनांक-11.07.2024 को प्राप्त है।
7. इस योजना की उक्त राशि के निकासी के प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वसभाजन

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-13/अ0प्र0-02-05/2024 3936

/पटना, दिनांक 18/7/24

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-13/अ0प्र0-02-05/2024 3936

/पटना, दिनांक 18/7/24

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, ग्रा0का0वि0/ अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रा0का0वि0/ विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रा0का0वि0/ संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार/ अभियंता प्रमुख, ग्रा0का0वि0/सचिव, ब्राडा ग्रा0का0वि0/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रा0का0वि0, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रा0का0वि0, बिहार, पटना/ सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/ सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/ संबंधित नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग/ वित्त विभाग (बजट शाखा)/ योजना विभाग (योजना शाखा) एवं प्रशाखा पदाधिकारी-12 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-13/अ0प्र0-02-05/2024 3936

/पटना, दिनांक 18/7/24

प्रतिलिपि:- प्रबंधक सूचना प्रावैधिकी, ग्रा0का0वि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि ग्रामीण कार्य विभाग के बैबसाईट पर अविलम्ब अपलोड कर दी जाय।

सरकार के अवर सचिव